

# जन्मजात नागरिकता खत्म करने के ट्रम्प के आदेश पर कोर्ट ने अस्थायी रोक लगाई

## सिएटल डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कॉफ्नौर ने ट्रम्प के आदेश को पहला कानूनी झटका दिया

—डॉ. सतीश मिश्रा—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 24 जनवरी। सिएटल में एक फेडरल जज ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के उस कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, आदेश कार्यकारी आदेश में अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को स्वतः अमेरिकन नागरिक बनने के अधिकार पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट के फैसले से अमेरिका में रह रहे भारतीय परिवारों को राहत मिली है, खासकर उन्हें जो एच वन वी वीजा पर वहाँ रह रहे हैं।

अमेरिका के जिला जज जॉन कॉफ्नौर ने इस नीति के क्रियान्वयन पर 14 दिन की रोक लगा दी है।

ट्रम्प ने कार्यालय में पहले ही यह आदेश जारी कर दिया, जिसमें अमेरिका में जन्मे बच्चों के माता-पिता में से कोई भी अमेरिकन नागरिक नहीं है तो उन्हें अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। कोर्ट के फैसले से अमेरिका की नागरिकता के कानूनों को पुनः परिभाषित करने में ट्रम्प के प्रयासों को पहला बड़ा झटका लगा है।

कोर्ट के इस आदेश से उन गर्भवती महिलाओं को राहत मिली है जो 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देने के लिए डॉक्टरों के पास जा रही हैं।

सिएटल के डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कॉफ्नौर ने 14 दिन के लिए इस आदेश पर रोक लगा दी है। पहले से ही संभावना थी कि जन्मजात नागरिकता खत्म करने के ट्रम्प के फैसले की राह में भारी कानूनी अड़चन आएगी।

जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता मिलने के कानून को खत्म करने वाला ट्रम्प का एजीक्यूटिव ऑर्डर 20 फरवरी से लागू होना है और अप्रवासी गर्भवती महिलाओं, खासकर भारतीय, में 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देने की होड़ लगी है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं।

ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित आदेश, जो 19 फरवरी से लागू होना था, अमेरिका में जन्म लेने वाले लाखों बच्चों को प्रभावित कर सकता था।

अमेरिका उन 30 देशों में से एक है, जहाँ जन्म के आधार पर नागरिकता दिए जाने का सिद्धांत लागू है। अमेरिका के डॉक्टर व

गायनकोलॉजिस्ट के पास अचानक ही एच वन वी वीजा पर वहाँ रह रही गर्भवती भारतीय महिलाओं की बाढ़ आ गई है, जो "सिजेरियन" से बच्चे को 20 फरवरी से पहले जन्म देना चाहती हैं, ताकि उनके बच्चे को अमेरिकन नागरिकता मिल जाए, क्योंकि 20 फरवरी से ट्रम्प का आदेश लागू हो

जाएगा और उसके बाद जन्मे बच्चों को अमेरिकन नागरिकता नहीं मिलेगी, 20 फरवरी के बाद जन्मे बच्चों को तब ही नागरिकता मिल पाएगी, जब इनके माता-पिता में से एक अमेरिकन नागरिक हो या ग्रीन कार्ड धारक हो। ऐसा नहीं हुआ तो 21 साल का होने पर उन्हें अमेरिका छोड़ना होगा।

ट्रम्प का ऑर्डर कहता है कि जो लोग अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, उनके अमेरिका में जन्मे बच्चे अमेरिकन नहीं हैं। ट्रम्प ने फेडरल एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि उन बच्चों को नागरिकता न दी जाए, जिनके माता-पिता में से एक भी अमेरिकन नागरिक नहीं है।

जन्म के अधिकार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला 1898 में आया था, जब कोर्ट ने वॉन किम आर्क को अमेरिकी नागरिक करार दिया था, वॉन चीनी अप्रवासी माता-पिता की संतान थे, पर अमेरिका में जन्मे थे, इसलिए उन्हें अमेरिकन नागरिक माना गया। किम को विदेश गाने के बाद संघीय सरकार ने प्रवेश देने से मना कर दिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## भारत-पाक सीमा के पास हिरण का शिकार

बीकानेर, 24 जनवरी (निस)। भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर हिरण के शिकार का मामला सामने आया है। सुबह गुलवाली वन्य क्षेत्र में शिकार की जानकारी मिली, उसके बाद से वन्यजीव प्रेमियों में भारी आक्रोश है और शिकारियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। उधर, मृत हिरण का वेटरनरी डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह गुलवाली वन्य क्षेत्र में

आक्रोशित वन्य प्रेमी शिकारियों की गिरफ्तारी पर अड़े।

हिरण का शिकार हुआ। इस दौरान हिरण के शरीर पर कई बार किए गए शिकार की सूचना मिलते ही वन्य जीवप्रेमी मौके पर पहुंच गए।

वन विभाग के एसीएफ सूर्यप्रताप सिंह, रंजर रविन्द्र सिंह, भैरवेंद्र सिंह आदि मौके पर पहुंचे। मृत हिरण का पशु चिकित्सालय में गिट्टि बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। लोग शिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जता रहे हैं। वन अधिकारी शिकारियों को दूढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जगह दबिध भी दी जा रही है, लेकिन अब तक कोई पकड़ में नहीं आया।

# ग्रामीणों के बैंक खाते खरीदकर 52 करोड़ रूपए की सायबर ठगी, सात गिरफ्तार

## बीकानेर में ऐसे 75 बैंक खाते आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनके जरिए साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था

बीकानेर, 24 जनवरी (निस)। ग्रामीणों के बैंक अकाउंट खरीद कर उनके जरिए करीब 52 करोड़ रूपए की साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है। पता चला है कि इसके लिए बदमाश पहले बैंक में ग्रामीणों के अकाउंट खुलवाते, फिर इन खातों को 5 हजार से 15 हजार रूपए में खरीद लेते थे, यानी वे ग्रामीणों से उनके बैंक अकाउंट का किट्स (चेक बुक, पासबुक आदि) ले लेते थे। वे इन किट को अलग-अलग राज्यों में बैठे साइबर ठगों को भेज देते थे। ये ठग, लोगों से की गई साइबर ठगी के पैसों का ट्रॉजकेशन इन बैंक अकाउंट के जरिए करते थे। पुलिस ने मामलों में 6 ठगों को गिरफ्तार किया है।

बीकानेर में ऐसे 75 बैंक खाते आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनके जरिए साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। बीकानेर के एसपी कावेन्द्र सागर ने बताया कि पुलिस को साइबर ठगों के बीकानेर में एक्टिव होने का इनपुट मिला था। बीकानेर के लोगों के अकाउंट साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जाने की शिकायतें तकरीबन 20 राज्यों से मिली थीं। इसके बाद साइबर शौल्ड अभियान के तहत कार्रवाई की गई।

बदमाश पहले बैंक में ग्रामीणों के अकाउंट खुलवाते, फिर इन खातों को 5 हजार से 15 हजार रूपए में खरीद लेते थे।

बीकानेर के खातों को लेकर केरल, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, प. बंगाल सहित कई राज्यों से शिकायतें आ रही थीं।

एसपी कावेन्द्र सागर ने बताया कि ठगों से पूछताछ में सामने आया कि इस गिरोह ने साइबर माफिया के निर्देश पर बीकानेर में बैंक खाते खुलवाए थे। ये ठग और भोले-भाले लोगों को बैंक में ले जाकर सेंसिबल अकाउंट खुलवाते थे। ये लोग फर्जी फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन कर करंट अकाउंट भी खुलवाते थे। खाताधारक को बैंक से जो एटीएम, पासबुक और अन्य सामान मिलता, उसे अपने पास रख लेते, फिर अलग-अलग राज्यों में बैठे ठगों को ये बैंक किट बस के माध्यम से भेजे देते थे। ये किट जब अन्य राज्यों में बैठे साइबर ठगों के पास पहुंचते तो वे लोग साइबर ठगी से आए रूपयों को इन खातों में भेजते थे। इसके बाद एटीएम, चेक और अन्य माध्यम से रूपए निकाल लेते थे।

पूछताछ में पता चला कि बीकानेर के बैंकों में 75 खाते खोले गए हैं और इनसे 51 करोड़ 81 लाख रूपए का लेनदेन हुआ। एसपी के अनुसार, बीकानेर के खातों को लेकर केरल, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, प. बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड और मेघालय से शिकायतें आ रही थीं। यहाँ बीकानेर के लोगों के एटीएम कार्ड और चेक यूज किए जा रहे थे।

पुलिस के अनुसार, अभी ऐसे और खातों की पड़ताल की जा रही है। उम्मीद है कि बड़ी संख्या में फर्जी खातों का लेनदेन सामने आ सकता है। पुलिस ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# वक्फ बिल जेपीसी से विपक्षी सदस्य एक दिन के लिए निलम्बित

## चर्चा के दौरान भारी गर्मा-गर्मी के बाद जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने यह कदम उठाया

—डॉ. सतीश मिश्रा—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 24 जनवरी। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी (जेपीसी) के चेयरमैन जगदम्बिका पाल द्वारा विचारधारा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को जल्दी से आगे बढ़ाने के दृढ़निश्चयों प्रयास के कारण कमेटी में गर्मागर्मी का माहौल बन गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कई विपक्षी सदस्य निलम्बित कर दिये गये। इनमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, प्रमुक्त ए. राजा तथा एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन औबेसी शामिल हैं। शुक्रवार को हुई मीटिंग में बार-बार के गतिरोधों के बाद, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने निलम्बन प्रस्ताव पेश किया, जिसे कमेटी में पारित कर दिया गया। ये सांसद एक दिन के लिए निलम्बित किये गये।

जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्षी सांसदों द्वारा किये गये हंगामों, जिनमें अससंतीय भाषा और नारेबाजी शामिल थी, के कारण मीटिंग कई बार

जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने शोरगुल किया, नारे लगाए, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, हमें कई बार कमेटी की बैठक स्थगित करनी पड़ी, इसलिए यह कदम उठाया गया।

जेपीसी के विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार आरएसएस के एजेंडा पर काम कर रही है और वक्फ समितियों को हड़पना चाहती है, इसीलिए यह वक्फ बिल लाया गया है।

जगदम्बिका पाल ने कहा कि मीरावइज़ उमर फारूख के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से एक प्रतिनिधिमंडल अपनी बात कहने आया था, पर विपक्षी सदस्यों ने उन्हें बात नहीं करने दी।

स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने कहा, "हम उनसे अनुरोध करते रहे कि जम्मू-कश्मीर के आमंत्रित प्रतिनिधिमंडल को बोलने दीजिये, लेकिन उनकी ओर से विरोध जारी रहा।"

विपक्षी सदस्यों ने जेपीसी के काम-काज पर कड़ी आपत्तियाँ कीं। उन्होंने कमेटी पर आरोप लगाया कि

कमेटी दिल्ली विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुये, विधेयक को ज्यादा ही जल्दी आगे बढ़ा रही थी।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, जो निलम्बित सदस्यों में शामिल हैं, ने कमेटी पर मनमर्जी से काम करने का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि इस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ब्यावर कलेक्टर ने अवैध खनन पर 1.39 करोड़ रूपए की पैनल्टी लगाई

ब्यावर, 24 जनवरी (निस)। खातेदारी भूमि में लाइम स्टोन के बड़े पैमाने पर अवैध खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। खनिज विभाग ने इन मामलों पर 1 करोड़ 39 लाख 20 हजार की पेनल्टी लगाई है।

जिला कलेक्टर डॉ. महेन्द्र खड्गवाल को ग्राम निम्बोल तहसील जैतारण में अवैध खनन की शिकायत मिली थी, उन्होंने खनिज विभाग, पुलिस व राजस्व विभाग की टीम गठित कर

जैतारण तहसील में खातेदारी भूमि में बड़े पैमाने में लाइम स्टोन के अवैध खनन के पिट पाये गये।

मौके पर भेजी। खनिज विभाग द्वारा जांच करने पर मौके पर खातेदारी भूमि में बड़े पैमाने पर लाइम स्टोन के अवैध खनन के पिट पाये गये। मुख्य रूप से अवैध खनन खसरा संख्या 16 ग्राम निम्बोल तहसील जैतारण में 30 मीटर गुणा 20 मीटर गुणा 8 मीटर का अवैध पिट पाए जाने पर खनिज विभाग द्वारा नियमानुसार 1 करोड़ 39 लाख 20 हजार का मौका पंचनामा बनाया गया। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# "इन्डैमिटी अंडरटेकिंग" देने पर ही श्री शुभम लॉजिस्टिक के गोदामों में 2,790 करोड़ रूपए की कृषि उपज रखवाई जाएगी

## इस कंपनी द्वारा 48 गोदामों का बीमा "गलत श्रेणी" में करवाने और शर्तों के उल्लंघन के कारण राजस्थान सरकार ने फैसला लिया

—यादवेंद्र शर्मा—

जयपुर, 24 जनवरी। राजस्थान सरकार ने श्री शुभम लॉजिस्टिक कंपनी को "इन्डैमिटी अंडरटेकिंग" देने के आदेश दिए हैं। अगर कंपनी यह अंडरटेकिंग नहीं देती है तो किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई 2790 करोड़ रु. की रबी उपज को इस कंपनी द्वारा पी.पी.पी. मोड पर संचालित 48 गोदामों में नहीं रखवाया जायेगा। राज्य सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है, क्योंकि इस कंपनी ने 48 गोदामों का बीमा, जैसे बचाने के लिए "गलत श्रेणी" में करवा रखा है। ऐसे में "इन्डैमिटी" (जिम्मेदारी तय करने के लिए समझौता) के बिना यहाँ रखी जाने वाली करोड़ों रु. की कृषि उपज जैसे मूंग, सोयाबीन और मूंगफली खराब अथवा चोरी होने पर कोई जिम्मा इस कंपनी पर नहीं जाता। यह नुकसान कंपनी तौर पर राज्य सरकार और आमजनता को भुगतान पड़ता।

दरअसल वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 9 नवंबर को

ऑरिगो कॉमोडिटीज के 23 गोदामों का बीमा स्वयं राज्य भंडारण निगम करवायेगा, यह राशि कंपनी के भुगतान में से काटी जायेगी।

ज्ञातव्य है कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने 16 मई 2024 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन दोनों कंपनियों द्वारा 150 करोड़ रूपए का घोटाला करने का आरोप लगाया था।

इस मामले को लेकर बैठक बुलाई थी। जिसमें राजस्थान भंडारण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, शासन सचिव वित्त (बजट), शासन सचिव सहकारिता और राजफेड के कृषि एवं प्रबंध निदेशक शामिल हुए थे। बैठक में राजफेड द्वारा कृषि उपज के भंडारण और मूवमेंट प्लान पर चर्चा हुई। जिसमें अधिकारियों ने स्वीकारा कि श्री शुभम लॉजिस्टिक कंपनी को पी.पी.पी. मोड पर जो 48 गोदाम संचालन के लिए दिए गए हैं, उनका बीमा इस कंपनी ने गलत श्रेणी में करवा रखा है, जो कि 12 जून 2025 तक है। इस वजह से अगर

गोदामों में रबी की कृषि उपज जैसे मूंग, सोयाबीन और मूंगफली रखवाई जाती है तो खराब, चोरी, आगजनी अथवा अन्य नुकसान से कोई बचाव नहीं होगा। गलत श्रेणी में बीमा होने के कारण बीमा कंपनी से भी इसकी भरपाई नहीं होगी।

अधिकारियों ने बैठक में बताया कि, केन्द्र सरकार के "वेयर हाऊसिंग डवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी" (डब्ल्यू.डी.आर.ए.) ने भी साफ कहा है कि, गोदामों का गलत श्रेणी में बीमा करवाये जाने के पश्चात अब दुबारा इनका बीमा नहीं करवाया जा सकता। नया बीमा 12 जून 2025 को वर्तमान

बीमा पॉलिसी खत्म होने के बाद ही किया जा सकता है। ऐसे में इन 48 गोदामों में 2790 करोड़ रु. की कृषि उपज रखने पर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?

इस प्रकरण को लेकर 20 दिसंबर को मुख्य सचिव ने भी बैठक ली। जिसके बाद राज्य सरकार ने कहा कि, अगर श्री शुभम लॉजिस्टिक कंपनी "इन्डैमिटी अंडरटेकिंग" पेश करती है, उसी स्थिति में ही इन गोदामों में कृषि उपज रखवाई जाये। अगर कंपनी यह अंडरटेकिंग नहीं देती है कृषि उपज का भंडारण इन गोदामों में नहीं किया जायेगा।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि श्री शुभम लॉजिस्टिक की सहयोगी कंपनी ऑरिगो कॉमोडिटीज के 23 गोदामों का बीमा भी 3 अक्टूबर 2024 को खत्म हो चुका है। ऐसे में यहाँ भी कृषि उपज रखवाना उचित नहीं होगा। जिस पर राज्य सरकार ने फैसला लिया कि, ऑरिगो कंपनी के 23 गोदामों का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## 'ईडी व एसीबी बताये जल जीवन मिशन में क्या कार्यवाही की'

जयपुर, 24 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी व एसीबी को चार फरवरी तक शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि उनकी ओर से मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस विनोद कुमार

राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जनहित याचिका पर दोनों एजेंसियों से 4 फरवरी तक जवाब मांगा।

भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करणन संस्था की जनहित याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पूतमचंद भंडारी व टीएन शर्मा ने अदालत को बताया कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विशेषज्ञों का कहना है कि पेरिस क्लाइमेट डील से अमेरिका के हटने से जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल, डीजल आदि) की मांग बढ़ जाएगी, जिससे इनके दाम भी बढ़ जाएंगे।

विशेषज्ञों ने कहा कि इससे कार्बन उत्सर्जन के प्रति वैश्विक दबाव हल्का पड़ जाएगा, जिससे भारत की "रिन्यूएबल एनर्जी" का विकल्प अपनाने की मुहिम धीमी पड़ जाएगी। इससे ग्रीन सेंक्टर में रोजगार सृजन भी धीमा हो जाएगा और इसके लाभ मिलने में भी देरी होगी।

उल्लेखनीय बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत की स्थिति बेहद संवेदनशील है। कृषि, इन्फ्रास्ट्रक्चर और तटवर्ती क्षेत्रों के लिए भारी जोखिम है। बिगड़ा हुआ मौसम भारी आपदा ला सकता है, जैसे- सूखा, बाढ़, समुद्री तूफान आदि। बढ़ती ग्लोबल वॉर्मिंग से इन्फ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो सकता है, प्रदूषण के कारण बीमारियाँ बढ़ने से स्वास्थ्य खर्च बढ़ेगा, गर्मी के कारण श्रम उत्पादकता में भी कमी आएगी और ये नुकसान जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाले तात्कालिक लाभ की तुलना में कई गुना ज्यादा है।

परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी देने या अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंचने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा

नियमों की अनदेखी करने की अनुमति मिल जाएगी। ट्रंप का आदेश दावा करता है कि

“फिछले प्रशासन की हानिकारक और अदृढ़दर्शी नीतियों” ने देश की ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की क्षमता को

बाधित किया है, जिससे संघर्षरत अमेरिकियों के लिए लागत बढ़ गई है और "दुश्मन देशों" पर निर्भरता बढ़ी

है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए, आदेश में ऊर्जा विकास योजनाओं (एनर्जी डवलपमेंट प्लान्स) में सैन्य भागीदारी की अनुमति दी गई है। "अमेरिकी ऊर्जा को मुक्त करना" शीर्षक वाले ट्रंप के निर्देश तहत, विशेष रूप से संसाधनों की निकालने पर ध्यान केंद्रित लगता है—विशेष रूप से अलास्का में—चाहे वो जीवाश्म ईंधन, खनिज या अन्य लाभकारी चीजें हों। प्रकट रूप से नौकरियों के सृजन और ऊर्जा लागतों को कम करने के उद्देश्य से यह किया गया है। तथापि, ट्रंप ने समुद्री पवन ऊर्जा फार्म के पट्टों पर भी रोक लगा दी, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वो नवीकरणीय ऊर्जा की तुलना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## 'नरेश मीणा ही समरावता उपद्रव का मुख्य आरोपी'

जयपुर, 24 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उदियारा विधानसभा सीट के उपचुनाव के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की ओर से एसडीएम से मारपीट के बाद समरावता में हुए उपद्रव के मामले में वीडियो देखकर अदालत ने नरेश मीणा पर कड़ी टिप्पणी की। वहीं, अदालत ने मामले को

हाई कोर्ट में घटना का वीडियो देखने के बाद न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी की।

सुनवाई के एक सप्ताह के लिए टाल दी। जस्टिस प्रवीर भटनगर ने ये आदेश नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, एजेंजी राजेश चौधरी ने अदालत को घटना के दिन का वीडियो दिखाया। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)